संख्या- 72/2015/852/एक-6-2015-15(9)/2014

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2015**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर व्ययों हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1217/12-भवन-59/2012, दिनांक 16-07-2015 एवं वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-/2015, बी-1-1925/उस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनेत्तर पक्ष में राजस्व परिषद,उ0प्र0, लखनऊ एवं इलाहाबाद के आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 75,00,000/-(रू0 पचहत्तर लाख), जिसका लेखा शीर्षकवार तथा मदवार विवरण निम्नलिखित है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	आयोजनेत्तर-अनुदान सं0-52 योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-053-रखरखाव तथा मरम्मत-03-राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण ।	3000	3000
2	2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-03-राजस्व परिषद के आवासीय भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण	1500	1500

http://shasanadesh.up.nic.in

3	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-10-राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य।	1000	1000
4	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-राजस्व परिषद के आवासीय भवन-25-लघु निर्माण कार्य।	2000	2000
	योग	7500	7500

2- उपरोक्त स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में सम्बन्धित व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त् धनराशि का व्यय नई मदों के क्रियान्वयन में न किया जाय। साथ ही मदों में व्यय स्वीकृति धनराशि के भीतर ही सीमित रखा जाय और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका और वित्तीय नियम संग्रहों के संगत नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो, उसमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इस संबंध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर सूचना नियमित रूप से प्रतिमाह दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराई जाय।

5- प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- बी- 11195/उस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

7- उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त आहरण के स्थान पर आवश्यकतानुसार किश्तो में धनराशि का आहरण किया जाय।

8- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2015 बी-1-1925/दस-2015 -231/2015,

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत प्रस्तर-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अधीन सुसंगत मदों व प्राथमिकता इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

10- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015 बी-1-1925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकार के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-852(1)/एक-6-2015-15(9)/2014, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (लेखा परीक्षा 1/2)
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ/इलाहाबाद ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उ0प्र0, लख्नऊ ।
5- निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in